हिन्दी प्रादेशिक समाचार

आकाशवाणी चंडीगढ़

(तिथि 26 मार्च 2025, समय 1305 (5 मिनट)

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कल चंडीगढ़ में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में "हरियाणा आत्मनिर्भर वस्त्र नीति 2022-25" की सफलता तथा राज्य भर के उद्यमियों से प्राप्त जबरदस्त प्रतिक्रिया के मद्देनजर पूंजी निवेश सब्सिडी योजना तथा इसके बाद की योजनाओं की संचालन अवधि को एक वर्ष बढ़ाकर 18 दिसंबर, 2026 तक करने का निर्णय लिया है।इसके अतिरिक्त, बैठक में सरकार ने वस्त्र इकाइयों के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी योजना के तहत मामलों की संख्या पर लगी सीमा को हटाने का निर्णय लिया है।"हरियाणा आत्मनिर्भर वस्त्र नीति 2022-25" के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 8 प्रोत्साहन योजनाएं तैयार की गई थी। इनमें कपड़ा इकाइयों के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी योजना, नेट एसजीएसटी के बदले निवेश सब्सिडी, हरित और टिकाऊ उत्पाद योजना , कौशल प्रशिक्षण योजना, अग्नि बीमा पॉलिसी प्राप्त करने के लिए सहायता, कपड़ा क्लस्टर विकास योजना और टेक्सटाइल पार्क योजना शामिल हैं।मंत्रिमंडल ने प्रदेश के डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा मुर्रा भैंस एवं अन्य दुधारू पशु नस्ल नियम, 2002 के नियम 21 के उपनियम (1) और (2) में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की है। इस संशोधन से दुग्ध सेस के भुगतान में देरी पर जुर्माना सहित ब्याज 2 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज प्रति माह (24% प्रतिवर्ष) की दर से से कम होकर 12 प्रतिशत साधारण ब्याज प्रतिवर्ष हो जाएगा।नए प्रावधानों के तहत, किसी भी दंड के साथ-साथ शुल्क या उपकर के किसी भी विलंबित भुगतान पर भुगतान की नियत तिथि से 12% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज लगेगा।मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस संशोधन से डेयरी उद्योग को काफी बढ़ावा मिलेगा, दूध संयंत्रों के लिए परिचालन में आसानी होगी और दूध प्रसंस्करण उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में हरियाणा की स्थिति मजबूत होगी।

****

हरियाणा मंत्रिमंडल ने "द्वितीय हरियाणा राज्य विधि आयोग" के अंशकालिक सदस्यों के मानदेय को 50 हजार रूपये से बढ़ाकर 75 हजार रूपये प्रति माह करने को मंजूरी दी है।यह आयोग आमतौर पर राज्य में कानूनी सुधारों के लिए आरंभिक निकाय के रूप में कार्य करता है।

****

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा की बेटी विनेश फोगाट को खेल नीति के तहत रजत पदक के समकक्ष लाभ देने के लिए मंत्रिमंडल ने उनसे विकल्प लेने का निर्णय लिया है।मुख्यमंत्री कल चंडीगढ़ में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे।

एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा -

2 बाइट -सी एम -बी

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के किसान उनसे मिलने आए थे जिसमें 15-20 उवा सरपंच शामिल थे। उन्होंने बस की जो मांग राखी थी वो पूरी कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के किसानों ने उन्हें कई कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए आमंत्रित भी किया है। पंजाब के लोग कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों से आहत हैं। देश का जन-जन मोदी की नीतियों से प्रभावित है। गेहूं खरीद की तैयारी के संबंध में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने बताया कि इस संबंध में उन्होंने कल ही विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। संबंधित विभागों द्वारा पूर्ण तैयारी कर ली गई है और 75 लाख मैट्रिक टन गेहूं की आवक का अनुमान है।

****

हरियाणा मंत्रिमंडल ने अन्य सरकारी विभागों की तर्ज पर राज्य भर की नगर पालिकाओं में ग्रुप ए, बी, सी और डी के तहत पदों के वर्गीकरण को मंजूरी दी गई। इस वर्गीकरण से भर्ती प्रक्रिया सुचारू रूप से होगी, सेवा की गुणवत्ता में वृद्धि होगी और स्थानीय निकाय के नगर प्रशासन के कार्यों में एकरूपता आएगी। इस वर्गीकरण से अब ग्रुप ए और बी के समकक्ष फंक्शनल पे लेवल वाले नगर पालिका पदों की भर्ती हरियाणा लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाएगी, जबकि ग्रुप सी और डी के तहत आने वाले पदों को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भरा जाएगा।मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि इस कदम से न केवल नगर निगम कर्मचारियों और अन्य सरकारी विभागों के कर्मचारियों के बीच समानता सुनिश्चित होगी बल्कि पदोन्नति में आरक्षण सहित सरकारी निर्देशों को लागू करने में भी आसानी होगी।वर्तमान में, राज्य के 87 नगर पालिकाओं में 31,533 स्वीकृत पद हैं, जिनमें 11 नगर निगम, 23 नगर परिषद और 53 नगर समितियां शामिल हैं।